



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022026-270557
CG-DL-E-27022026-270557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1018]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947

No. 1018]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

का.आ. 1062(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 of 1956) (जिसे आगे उक्त एकट कहा जाएगा) के सेक्शन 3A के सब-सेक्शन (1) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार, यह मानने के बाद कि पब्लिक मकसद के लिए, ज़मीन, जिसका छोटा ब्यौरा नीचे शेड्यूल में दिया गया है, NH56 के किमी 665.686 से किमी 710.470 तक के हिस्से में बनाने (चौड़ा करने/पक्के शोल्डर के साथ दो लेन वगैरह), मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। (लंबाई-44.784) गुजरात राज्य के वलसाड जिले में, ऐसी ज़मीन अधिग्रहित का अपना इरादा बताता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस नोटिफिकेशन के ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 3C की उप-धारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति कर सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, यानी, प्रांत अधिकारी, पारडी को लिखित रूप में की जाएगी और उसमें उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्ति करने वाले को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा सुने

जाने का अवसर देगा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और यदि कोई और जांच आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 3C की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस नोटिफिकेशन के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के भूमि प्लान और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वलसाड जिले में खानपुर-करवड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर, किमी 665.686 से किमी 710. 470 (लंबाई 44.784) के भूमि खंड में, संरचना के साथ या बिना, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: वलसाड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पारडी					
गांव का नाम: चिवल					
1	465 (Old Survey Number 9002)	सरकारी	रोड	2.2122 (हेक्टेयर)	2.2122
2	505 (Old Survey Number 151)	निजी	कृषि	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
तालुक का नाम: वापी					
गांव का नाम: कराया					
3	140 (Old Survey Number 9001)	सरकारी	रोड	8.6321 (हेक्टेयर)	8.6321
4	227 (Old Survey Number 9022)	सरकारी	रोड	0.0062 (हेक्टेयर)	0.0062
5	638 (Old Survey Number 9013)	सरकारी	रोड	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
6	776 (Old Survey Number 9009)	सरकारी	रोड	0.0291 (हेक्टेयर)	0.0291
7	807 (Old Survey Number 9020)	सरकारी	रोड	0.0291 (हेक्टेयर)	0.0291

8	815 (Old Survey Number 9004)	सरकारी	नहर	0.0291 (हेक्टेयर)	0.0291
गांव का नाम: देगाम					
9	Road	सरकारी	रोड	8.0021 (हेक्टेयर)	8.0021
गांव का नाम: करवड					
10	1142 (Old Survey Number 716/1/P1)	निजी	कृषि	0.155 (हेक्टेयर)	0.155
11	Road	सरकारी	रोड	0.587 (हेक्टेयर)	0.587
Total					19.9132

[फा. सं. Bodeli-Vapi-2022/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2026

S.O. 1062(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH56 in the stretch of land from Km 665.686 to Km 710.470 (Length-44.784) in the district of VALSAD in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Prant Officer, Pardi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be Acquired with or without Structure, on Khanpur-Karwad National Highway 56 Falling in the Stretch of Land from Km. 665.686 to Km. 710.470 (Length 44.784) in the District of Valsad in the State of Gujarat.

State: GUJARAT			District: VALSAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pardi					
Village: Chival					
1	465 (Old Survey Number 9002)	Government	Road	2.2122 (Hectare)	2.2122
2	505 (Old Survey Number 151)	Private	Agriculture	0.0013 (Hectare)	0.0013
Taluk: VAPI					
Village: Karaya					
3	140 (Old Survey Number 9001)	Government	Road	8.6321 (Hectare)	8.6321
4	227 (Old Survey Number 9022)	Government	Road	0.0062 (Hectare)	0.0062
5	638 (Old Survey Number 9013)	Government	Road	0.23 (Hectare)	0.23
6	776 (Old Survey Number 9009)	Government	Road	0.0291 (Hectare)	0.0291
7	807 (Old Survey Number 9020)	Government	Road	0.0291 (Hectare)	0.0291
8	815 (Old Survey Number 9004)	Government	Canal	0.0291 (Hectare)	0.0291
Village: Degam					
9	Road	Government	Road	8.0021 (Hectare)	8.0021
Village: Karwad					
10	1142 (Old Survey Number 716/1/P1)	Private	Agriculture	0.155 (Hectare)	0.155
11	Road	Government	Road	0.587 (Hectare)	0.587
Total					19.9132

[F. No. Bodeli-Vapi-2022/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director